संख्या-20 /2017/948 ई-2/तेरह-2017-09/2010

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 19 मई,2017

विषय:-मे0 डी0सी0एम0 श्रीराम इण्डस्ट्रीज लि0, यूनिट दौराला आर्गेनिक्स दौराला, मेरठ को उ0प्र0 प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल)(तृतीय संशोधन) नियमावली,2014 के अनुसार मिथाइल अल्कोहल में रंगीन कर्मक, गंध अथवा अन्य कोई पदार्थ मिलाये जाने से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-68/दो-805ए/एम0ए0-2 व 4/2014, दिनांक 06 अगस्त,2015 तथा पत्र संख्या-जी-15/दो-805ए/एम0ए0-2 व 4/2014, दिनांक 13 मई,2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में की गई संस्तुति एवं मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या-1456(एमबी)/2010 में पारित आदेश दिनांक 06-4-2017 के अनुपालन में उ0प्र0 प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल)(तृतीय संशोधन) नियमावली,2014 के नियम-17ख(ड़) के अनुसार मे0 डी0सी0एम0 श्रीराम इण्डस्ट्रीज लि0, यूनिट दौराला आर्गेनिक्स दौराला, मेरठ को उक्त नियमावली में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन मिथाइल अल्कोहल में रंगीन कर्मक और तीक्ष्ण गंध तथा त्वरित पहचान के लिये किसी प्रभावी प्रदार्थ को मिलाये जाने से छूट प्रदान किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही तद्नुसार इकाई का तद्विषयक प्रत्यावेदन दिनांक 14/18-4-2017 एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

कृपया नियमानुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या-20/2017-948(1) ई-2/तेरह-2017 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि मे0 डी0सी0एम0 श्रीराम इण्डस्ट्रीज लि0, यूनिट दौराला आर्गेनिक्स दौराला, मेरठ को उनके पत्र दिनांक 18-4-2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार तिवारी)

अनु सचिव।